साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी राजाराम का प्रस्तुत किया एंव साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गौराऊ के खाता संख्या 601 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 क्रमशः मुन्नीदेवी, मनफूल, मीरां देवी, लिछमा, शांति एवं सम्पु ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी राजाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा गौराऊ के खेत खसरा नम्बर 702/808 रकबा 4.5972 हैक्टेयर में से रकबा 2.2986 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गोपालराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा गौराऊ के खेत खसरा नम्बर 702/808 रकबा 4.5972 हैक्टेयर में से रकबा 2.2986 हैक्टेयर पूर्वि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 क्रमशः मुन्नीदेवी, मनफूल, मीरां देवी, लिछमा, शांति एवं सम्पु के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्यांग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 24/2/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner